(वाद सं०– 1087/4/2/2022)

04.08.2023

परिवादी, सुनील कुमार, सेवानिवृत्त परिधापक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकुण्ड, औरंगाबाद उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सुनील कुमार, सेवानिवृत परिधापक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकुण्ड, औरंगाबाद, को दिनांक– 31.07.2021 को सेवानिवृत हो जाने के बाद भी अबतक अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि वह दिनांक–31.07.2021 को सेवानिवृत्त हो गया तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसे अनुमान्य सेवान्त लाभों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसका **सदर अस्पताल, औरंगाबाद** में अपने पदस्थापन अवधि के दौरान वह अपनी पत्नी की गंभीर रूप से बिमारी के कारण दिनांक–11.07.2018 से दिनांक–04.09.2019 तक अवकाश में था। उक्त अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु उसके द्वारा ससमय आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया। उपरोक्त अनुपस्थिति हेतु 180 दिनों का रूपान्तरित अवकाश तथा शेष असाधारण अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने से उसे गंभीर आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ रहा है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निनत **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद** के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के अनुमान्य सेवान्त लाभ के नियमानुकूल भुगतान करने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह, औरंगाबाद को निर्देशित कर दिया गया है। पुनः

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है तथा उसे पेन्शन भी प्राप्त हो रहा है।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी दिनांक–11.07.2019 से दिनांक–04.09.2021 तक कुल 421 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है। परिवादी के द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त दिनांक–23.09.2021 को उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि के अवकाश की स्वीकृति हेतु अपना अभ्यावेदन दिया गया। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, को मात्र 300 (तीन सौ) दिनों के अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। फलतः परिवादी के आवेदन एवं संलग्न कागजातों को **निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना** को भेज दिया गया है। अपने आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा परिवादी को भुगतान किये गये सेवान्त लाभ से सम्बन्धित साक्ष्यों को अनुलग्नित किया गया है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर तथा आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी का कथन है कि उसे अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है लेकिन अभी तक सेवा काल में उसके द्वारा लिये गये अवकाश की स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से उसे गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अब जबकि परिवादी को अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना से अनुरोध है कि परिवादी के अनधिकृत अवकाश के स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमानुसार कारवाई कर कृत कार्रवाई से परिवादी को आदेश पारित होने के 03 माह के अन्दर अवगत करा दिया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिवेदन (पृष्ठ 39–37/प0) की प्रति संलग्न कर निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी एक प्रति परिवादी को भी भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक